

9/5/18

पत्रावली बागलुन लोक अदालत कैम्पकोर्ट
 में लाना में देखा है। पत्रावली का
 अवलोकन लोक अदालत की भावना से
 किया गया। वकील अहिंसा को उपाय
 है। अनेक उपाय दिने जाने के बाद
 भी उपाय नहीं की किया गया। अतः
 उपाय बन्द किया जाता है। पत्रावली
 का अवलोकन मिनत किया किया जा
 है कि उभयपक्ष को परबन्द किया जा
 है कि अपनी-अपनी भाँसे का सीमा ज्ञान कर
 एवं एक दूसरे के कब्जे कास्ट में भ्रष्ट
 नहीं करे। पत्रावली फल श्रमा होकर
 दर्ज नाम ले का हाँ। फैलवा मजदूर
 लोक अदालत कैम्प कोर्ट में लाना में
 सुनाया गया।

09/5/18
 NAD'18
 सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
 साँभर लोक (जयपुर)